

Corrigendum

इस कार्यालय पत्र सं० 2834 दिनांक 31.03.2018 के द्वारा गाजियाबाद क्षेत्र के विभिन्न बस स्टेशनों व डिपोज एवं क्षेत्रीय कार्यशाला गाजियाबाद में सुरक्षा गार्डों की निविदा हेतु दिनांक 18.04.2018 निर्धारित की गयी थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों व निविदा में अन्य शर्तों के समायोजित करने के कारण निविदा दिनांक 27.04.2018 को समय 15.00 बजे खोली जायेगी।

शेष निविदा यथावत् रहेगी।

12/4/18
क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
गाजियाबाद।

पत्रांक: 3281 /क्षे0प्र0/गा0बाद/सामान्य/सिक्वोरिटी/2018 दिनांक:- 12-04-2018

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ,।
- 2- नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, कार्यालय गाजियाबाद।
- 3- प्रधान प्रबंधक(एम0आई0एस0/विविध/विप्रणन) परिवहन निगम मुख्यालय।
- 3- सहायक प्रबंधक(एम0आई0एस0) लखनऊ को विज्ञप्ति वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
- 4- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम,.....।
- 5- सेवा प्रबंधक,उ0प्र0परिवहन निगम, गाजियाबाद को प्रचार प्रसार हेतु।
- 6- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0परिवहन निगम, गाजियाबाद क्षेत्र को प्रचार प्रसार हेतु।
- 7- नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपो कार्यालय/बस स्टेशन,गाजियाबाद क्षेत्र।

12/4/18
क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद

सिक्थोरिटी फर्म हेतु चयन मार्किंग स्तर

- 1-भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से फाइनेन्स एक्ट 1994(32 ऑफ 1994) के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र पर 05 अंक। प्रतिवर्ष 01 अंक।
- 2-फर्म के टर्न ओवर पर प्रतिकरोड़ पर 01 अंक। टर्न ओवर पर न्यूनतम 05 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
- 3-ई0पी0एफ0/पी0एफ0विभाग में 05 वर्ष पुराना रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। प्रतिवर्ष पर 01 अंक।
- 4-जिलाधिकारी कार्यालय से जारी चरित्र प्रमाण-पत्र पर 02 अंक।
- 5-पुलिस महानिदेशक कार्यालय से फर्म का जारी प्रमाण-पत्र पर प्रतिवर्ष के आधार पर 01 अंक।
- 6-ई0एस0आई0 विभाग में रजिस्ट्रेशन पर प्रतिवर्ष 01 अंक।
- 7-बैंक से एक करोड़ की Solvency Certificate प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा, नही होने पर निविदा मान्य नही होगी। प्रति करोड़ 05 अंक प्रदान किये जायेंगे, न्यूनतम 05 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
- 8-श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन पर प्रति वर्ष 01 अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 9-भारत सरकार में सुरक्षागार्ड पंजीयन के प्रत्येक वित्तीय वर्ष पर 05 अंक।
- 10-अनुभव:-


A- केन्द्र सरकार के विभागों में काम किया गया है प्रतिवर्ष	05 अंक।
B- केन्द्र सरकार के सार्वजनिक विभागों में काम किया गया है प्रतिवर्ष	04 अंक।
C- राज्य सरकार के विभागों में काम किया गया है प्रतिवर्ष	03 अंक।
D- राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में काम किया गया है प्रतिवर्ष	02 अंक।
E- उ0प्र0परिवहन निगम में काम किया गया है तब प्रतिवर्ष	02 अंक।

फर्म को न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

प्राप्त मार्क के आधार पर 03 सर्वश्रेष्ठ फर्मों का चयन किया जायेगा।

क्षेत्रीय समिति को अधिकार होगा, कि वह आवश्यकतानुसार सुरक्षागार्ड की आपूर्ति हेतु एक से अधिक फर्मों का चयन कर सकती है। जिस पर फर्म को कार्य करना अनिवार्य होगा, अन्यथा फर्म को प्रदान की गयी अनुमति बिना नोटिस निरस्त की जा सकती है जिस पर फर्म का कोई अधिकार नही होगा।

किसी भी टेण्डर/नीलामी को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा।


क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद